22.5.16 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई।
प्रार्थना-पत्र के संबंध में संक्षिप्त तथ्य
इस प्रकार है कि एक प्रार्थना-पत्र
अंतर्गत धारा 136 LR Act प्रार्थी
द्वारा पेश कर निवेदन किया गया कि
प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी
की भूमि ख.नं. 7059, 7061, कस्बा
करौली-10 में स्थित है जिसमें विरासत
का नामान्तरण खोलते वक्त प्रार्थी का
नाम रघुनाथ प्रसाद शर्मा पुत्र सामंति-

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	माराम के स्थान पर रघुनाथ पुत्र सांवलिया दर्ज कर दिया गया, जो गलत है जिसे दुरुस्त किया जावे। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षकारान को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा तय समय में जवाब पेश नही करने पर जवाब बंद कर एकतरफा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा TDR करौली को निर्देशित किया जाता है कि ख.नं. 7059, 7061/1 मे प्रार्थी का सही नाम रघुनाथ प्रसाद शर्मा पुत्र श्री सांवलियाराम दर्ज रिकॉर्ड कर दुरुस्त करे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 22 [illegible] 2026 उपखण्ड अधिकारी करौली (राज.)	